

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

परिपत्रांक सी-20 / अधि0-2-211(1) / सी0ए0एस0 /

दिनांक 25/6/13

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश ।
2. सचिव/महाप्रबंधक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश ।

विषय - पैक्स एवं जिला सहकारी बैंकों के स्तर पर बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से सहकारी ऋण ढाँचे के पुनर्गठन एवं पैक्स के मानव संसाधन तथा व्यवसाय विकास हेतु एकीकृत लेखा प्रणाली विकसित कर लागू किये जाने हेतु दिशा निर्देश ।

उत्तर प्रदेश शासन, सहकारिता अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 584/49-1-13-8(35)/13 लखनऊ दिनांक 04-04-2013 के द्वारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को इम्प्लेमेंटिंग एवं मॉनिटरिंग एजेंसी नामित किया गया है। गठित कमेटी की संस्तुति के अनुसार पैक्स एवं जिला सहकारी बैंकों में बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से एकीकृत लेखा प्रणाली विकसित कर लागू किये जाने हेतु दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं, जो संलग्न कर प्रेषित हैं। पैक्स एवं जिला सहकारी बैंकों में अपेक्षित है कि समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त ।

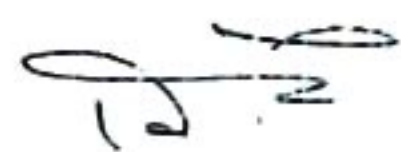

(देबाशीष पण्डा)
आयुक्त एवं निबंधक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ ।

परिपत्रांक सी- 20 / अधि0-2-211(1) / सी0ए0एस0 /

दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप आयुक्त एवं संयुक्त/उप निबंधक, सहकारिता, उ0 प्र0 ।
2. समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, मुख्यालय ।
3. प्राचार्य, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, 472, सेक्टर - 21, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
4. निदेशक, इंस्टिट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रिसर्च ट्रेनिंग, सेक्टर - 21, रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0यू0, लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 कोऑपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ ।
8. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय 11-विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ ।
9. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0, लखनऊ ।
10. प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
11. प्रमुख सचिव, कृषि, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
12. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ ।
13. निजी सचिव, मा0 सहकारिता मन्त्री, मन्त्रीजी के अवलोकनार्थ ।


(वी0 डी0 मिश्र)
अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (अधि0)
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश शासन, सहकारिता अनुभाग- 1 संख्या 584 / 49-1-13-8(35) / 13 लखनऊ दिनांक- 04-04-2013 के निर्देशानुसार गठित कमेटी की संस्तुति के अनुसार पैक्स एवं जिला सहकारी बैंकों में बायोमैट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से एकीकृत लेखा प्रणाली विकसित कर लागू किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1 - उद्देश्य/प्रयोजन -

- (क) पैक्स का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं लेखा प्रणाली में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाना।
- (ख) पैक्स के सभी सदस्यों का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक में खुलवाकर सभी प्रकार के अनुदान सीधे सदस्यों के खातों में हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
- (ग) पैक्स को बहुउद्देशीय सूचना/सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना।
- (घ) पैक्स का विभिन्न सम्बंधित संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- (च) पैक्स को बैंक के विजनेस कारेसपाण्डेन्ट के रूप में तथा निक्षेप संचय केन्द्र एवं फाइनेन्सियल इन्क्लूजन हेतु सहयोगी के रूप में विकसित करना।
- (छ) RuPay एवं केसीसी कार्ड की सुविधा पैक्स स्तर पर प्रदान करना।
- (ज) कृषकों एवं पैक्स का क्षमता विकास करना।
- (झ) पैक्स के सदस्यों को बैंक से वितरित होने वाले नकद अल्पकालीन ऋण सुविधा का और अधिक सुगम एवं त्वरित बनाना।
- (ट) मोबाइल फर्टिलाइजर मैनेजमेन्ट सिस्टम की सुविधा प्रदान करना।
- (ठ) SMS अलर्ट के माध्यम से कृषकों तथा सदस्यों को लेनदेन की त्वरित सूचना प्रदान करना तथा खाद, बीज आदि की उपलब्धता की सूचना देना।
- (ड) पैक्स एवं उसके सदस्यों का डाटा बेस तैयार करना।
- (ढ) अधिक से अधिक कृषक परिवारों को सदस्य बनाकर पैक्स की आच्छादन क्षमता का विस्तार करना।
- (ण) पैक्स के शत प्रतिशत सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित करना।

2- योजना का कार्यक्षेत्र -

यह योजना सी0बी0एस0 पद्धति से कम्प्यूटराइज्ड जिला सहकारी बैंकों में लागू की जाएगी। इसे प्रथमतः पाएलट आधार पर जनपद बिजनौर की सभी 96 पैक्स में लागू किया जायेगा तथा योजना की सफलता एवं क्रियान्वयन का विश्लेषण/परीक्षण करने के उपरान्त अन्य जनपदों में आवश्यकतानुसार संशोधन के साथ लागू करने पर विचार किया जायेगा।

3- जिला सहकारी बैंकों तथा पैक्स के योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु दायित्वों का निर्धारण -

- 3.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु समग्र सेवा प्रदाता (Total Service Provider/Total Solution Provider (TSP)), मैसर्स अग्रवाल भार्गव एण्ड एसोसिएट्स तथा जिला सहकारी बैंक के मध्य शासन द्वारा गठित कमेटी के माध्यम से अनुमोदित प्रारूप पर अनुबंध निष्पादित होगा।
- 3.2 पैक्स की प्रबंध समिति, वित्त पोषक जिला सहकारी बैंक को उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव/निर्णय तथा आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध करायेगी तथा सम्बंधित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता उक्त कार्य में समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करेंगे।
- 3.3 TSP एवं जिला सहकारी बैंक के मध्य सम्पादित हुए अनुबंध के अनुरूप जिला सहकारी बैंक तथा पैक्स संसाधन तथा सूचनाये उपलब्ध करायेगे।

Sc 15

प्रबन्धा निदेशक,

उ० प्र० कोऑपरेटिव बैंक लि०
लखनऊ

3.4 जिला सहकारी बैंक द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सर्वप्रथम स्वयं भुगतान किया जाये। तदोपरांत नाबार्ड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक, पैक्स तथा RKVY योजना के मध्य परिशिष्ट-1 के अनुसार व्यय भार वहन किया जायेगा। पैक्स के अंशदान की प्रतिपूर्ति सम्बंधित पैक्स के प्रबन्धकीय व्यय खाते से डेबिट करके की जाएगी।

3.5 नाबार्ड की गाइडलाइन्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जिला सहकारी बैंक का प्रोजेक्ट तैयार कराकर नाबार्ड को प्रेषित किया जायेगा।

3.6 RKVY की गाइडलाइन्स के अनुरूप उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा सीधे प्रोजेक्ट तैयार कर RKVY योजना के नोडल आफिसर को प्रेषित किया जायेगा। RKVY योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के माध्यम से RKVY योजना के उपलब्ध कोष से मांगपत्र के आधार पर की जाये।

4- जिला सहकारी बैंकों तथा पैक्स द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण -

जिला स्तर पर सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता एवं जिला सहकारी बैंक के सचिव/महाप्रबंधक योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा पैक्स स्तर पर पैक्स के सचिव योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

4.1 बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन जिला सहकारी बैंक की शाखा स्तर तथा पैक्स स्तर दोनों पर रहगी, जिससे की पैक्स तथा उससे सम्बंधित सभी सदस्यों के सभी लेन देन केवल बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन द्वारा ही संपन्न हों। प्रणाली का स्वरूप इस प्रकार डिजाइन किया जाये, जिससे कि पैक्स के सभी ऋण खाते तथा सदस्यों के बचत खाते केवल बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन द्वारा ही संचालित हों।

4.2 बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से रुपये कार्ड, के सी सी कार्ड, ए.टी.एम. आदि के उपयोग की व्यवस्था भी जिला सहकारी बैंक, नाबार्ड गाइडलाइन्स के अनुरूप लागू करें।

4.3 बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन में यह भी व्यवस्था हो कि बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के माध्यम से कोई भी लेनदेन होते ही सम्बंधित सदस्य/कृषक के उपलब्ध मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट संदेश/ऑडियो संदेश चला जाये तथा इसके अतिरिक्त जब भी पैक्स पर उर्वरक, बीज आदि का अगमन हो तब भी सम्बंधित सदस्य/कृषक के उपलब्ध मोबाइल नंबर पर तुरंत संदेश चला जाए। इसके अतिरिक्त सामान्य सूचनाएं भी संदेश (SMS) के माध्यम से प्रसारित किये जाने की व्यवस्था भी होगी।

4.4 पैक्स द्वारा किसी भी सदस्य अथवा किसान के साथ बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन माध्यम से जा भी लेन देन किया जाता है, उसका तत्काल एक प्रिंटेड विवरण भी दिया जाए, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख हो कि उसके साथ क्या लेनदेन किया जा रहा है।

4.5 पैक्स के सचिव को बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु पैक्स की प्रबंध समिति/प्रशासक द्वारा नमूना प्रपत्र-1 के अनुरूप अधिकृत किया जायेगा।

4.6 पैक्स के द्वारा पैक्स एवं सदस्यों से सम्बंधित सूचनाएँ मास्टर डाटा क्रिएशन हेतु TSP को उपलब्ध कराई जाएँ।

5- पैक्स द्वारा अपनाये जाने वाली एकीकृत लेखा प्रणाली, मानव संसाधन विकास तथा व्यवसाय विकास हेतु निर्देश -

S.S.D.

Page 2 of 5

प्रबन्ध निदेशक
यू.पी.ओ. कोऑपरेटिव बैंक लि.,
लखनऊ।

- 5.1 पैक्स द्वारा अपने सभी लेखे जोखे एकीकृत लेखा प्रणाली के अनुरूप ही बनाये जाएँ । पैक्स के सभी सदस्यों का मूल खाता एकीकृत लेखा प्रणाली के अंतर्गत सम्बंधित बैंक की शाखा स्तर पर बेस कंप्यूटर पर उपलब्ध रहेगा ।
- 5.2 योजना की क्रियान्वयन तिथि तथा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथियाँ यदि अलग होती हैं तब वित्तीय वर्ष एवं क्रियान्वयन तिथि के बीच के लन देन का हिसाब भी एकीकृत लेखा प्रणाली के अंतर्गत बैकलॉग पूर्ण कर रखा जाए ।
- 5.3 पैक्स की वार्षिक बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता तथा एकीकृत लेखा प्रणाली के अनुरूप समस्त रिकार्ड्स जिला सहकारी बैंक शाखा स्तर पर बेस कंप्यूटर के माध्यम से TSP द्वारा बनाये जायें ।
- 5.4 पैक्स द्वारा स्थानीय अवसर की उपलब्धता एवं सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार TSP के सहयोग से पैक्स की व्यवसाय विकास योजना तैयार की जाए, जिसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाए ।
- 5.5 प्रत्येक पैक्स के कम से कम दो अधिकृत स्टाफ द्वारा TSP के माध्यम से प्रणाली का पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा, जिससे कि एक वर्ष के उपरान्त पैक्स स्टाफ बायोमेट्रिक हैण्ड स्कैनर मशीन के माध्यम से कार्य करने में दक्ष हो सकें ।

6 योजना लागू करने की प्रभावी तिथि -

उक्त योजना पाएलट आधार पर जनपद बिजनौर में 9 जुलाई 2013 से सभी 96 पैक्स में क्रियान्वित की जा रही है। शेष जनपदों में योजना को लागू किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और जैसा जैसा जनपदों में वित्तीय व्यवस्था एवं सी बी एस प्रणाली सुनिश्चित होती जाएगी, योजना का क्रियान्वयन इम्प्लेमेंटिंग एवं मॉनिटरिंग एजेंसी उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक द्वारा विभिन्न चरणों में किया जाता रहेगा ।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर सभी पैक्स सचिवों एवं अध्यक्षों को सहभागिता सुनिश्चित कराएँ ।

प्रदेश में सहकारी ऋण ढाँचे के पुनर्गठन एवं पैक्स के मानव संसाधन तथा व्यवसाय विकास हेतु जिला सहकारी बैंकों, पैक्स एवं किसानों/सदस्यों को सुविधाजनक रूप से उनकी आवश्यकतानुसार समय से एवं पूर्ण पारदर्शी तरीके से सभी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उपरोक्त व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जाये, ताकि सहकारी साख संस्थाओं का कुशल प्रबंधन एवं क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए प्रदेश के कृषकों को पारदर्शी तरीके से सहकारी योजनाओं का लाभ सुलभ हो सके ।


 14/6/13
 (एस० सी० द्विवेदी)
 प्रबन्ध निदेशक
 उ० प्र० कोऑपरेटिव बैंक लि०
 भवनज

पैक्स के कर्मचारियों को बायोमेट्रिक पद्धति के संचालन का अधिकार

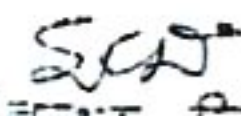
साधन / क्षेत्रीय / किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंध समिति
/ प्रशासक द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या दिनांक की सत्य प्रतिलिपि

पैक्स स्तर पर एकीकृत लेखा प्रणाली हेतु बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के संचालन पर विचार ।	सचिव द्वारा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या दिनांक द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों की जानकारी प्रदान की गई तथा उक्त परिपत्र में वर्णित व्यवस्था के क्रियान्वयन का प्रस्ताव रखा गया । सर्वसम्मति से उक्तानुसार कार्यवाही करना तथा निर्धारित व्यय /अंशदान वहन करना स्वीकार किया गया एवं इस हेतु निर्णय लिया गया कि पैक्स के सचिव श्री एवं श्री पदनाम को बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन के संचालन हेतु अधिकृत किया जाता है । यह भी निर्णय लिया गया कि पैक्स स्तर पर कुल सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा योजना को संचालित करने हेतु अधिकृत होंगे एवं इस हेतु व्यवस्था तथा आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने का दायित्व पैक्स सचिव का होगा । अनुवर्ती कार्यवाही हेतु सचिव को अधिकृत किया गया ।
--	--

50/5
प्रबन्ध निदेशक
30 प्रो कोओपरेटिव बैंक लि०,
लखनऊ ।

अंशदान व्यवस्था

व्यय की मद	अंशदान व्यवस्था / प्रतिपूर्ति प्रति पैक्स रु०	कुल मदवार व्यय करें सहित प्रति पैक्स रु०	अन्य विवरण
बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन क्रय पर व्यय (Cost of Micro ATM – PCS Terminals)	25000/- प्रति बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन नाबार्ड से प्रतिपूर्ति एवं 4500/- प्रति बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड मशीन RKVY योजना से	29500/-	एक मुश्त
इंटरफेस विकास पर व्यय	90% नाबार्ड से एवं बकाया 10% की प्रतिपूर्ति RKVY योजना से	20225/-	एक मुश्त
सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय	प्रतिपूर्ति RKVY योजना से	25281/-	एक मुश्त
मास्टर डाटा क्रिएशन पर व्यय	प्रतिपूर्ति RKVY योजना से	44944/-	एक मुश्त
पैक्स कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	प्रतिपूर्ति RKVY योजना से	53933/-	एक मुश्त
कांतिनर्जैसी पर व्यय	जिला सहकारी बैंक द्वारा स्वयं वहन किया जाये।	31461/-	वार्षिक
सुपरविजन चार्ज पर व्यय	जिला सहकारी बैंक द्वारा स्वयं वहन किया जाये।	112360/-	वार्षिक
मानव संसाधन पर व्यय (1) पैक्स जिनका लाभ वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु०-5.00 लाख या उससे अधिक है (2) पैक्स जिनका लाभ रु०-2.00 लाख या उससे अधिक है एवं 5.00 लाख से कम है (3) पैक्स जिनका लाभ वित्तीय वर्ष 2011-12 में रु०-2.00 लाख से कम है या हानि में है	(1) स्वयं वहन किया जाय (2) 50% स्वयं वहन किया जाय बकाया 50% व्यय की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा की जायेगी। (3) व्यय की प्रतिपूर्ति RKVY योजना से की जायेगी।	365170/-	वार्षिक
कनेक्टिविटी, कनजूमैबिल तथा SMS पर व्यय	प्रतिपूर्ति RKVY योजना से	53933/-	वार्षिक
कुल योग		732312.00	


 प्रकाश कुमार
 3090 कोऑपरेटिव बैंक लि०
 लखनऊ ।